न्यायालय : सहायक कलेक्टर, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 16/2023 | पीठासीन अधिकारी
दिनांक रजु :– 05–06–2023 | **श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)**

1. बच्ची देवी बेवा लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण मीना जाति मीना निवासी ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(वादीनी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निर्झरना तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0
2. कजोड पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण मीना जाति मीना निवासी ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0
3. घासी पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण मीना जाति मीना निवासी ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद अधिघोषणा

निर्णय दिनांक : 28/07/2023

उपस्थित :– श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट – वादीनी की ओर से

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका पारिवारिक सजरा इस प्रकार है :–

लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण (मृत्यु)

बच्ची देवी (पत्नी)	कजोड (पुत्र)	घासी (पुत्र)

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

वादीनी के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण मीना की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नं0 63 रकबा 2.1876 हैक्टेयर हिस्सा 138/173 एवं खसरा नं0 63/650 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 64 रकबा 0.0506 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 90 रकबा 0.7334 हैक्टेयर वाकै ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील निर्झरना में स्थित है। लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण का दिनांक 15-07-2018 को निधन हो चुका है। लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण मीना ने अपनी खातेदारी की भूमि की एक वसीयत दिनांक 25-01-2018 को अपनी पत्नी वादीनी के हक में कर रखी है। चूंकी वादीनी के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण मीना ने अपनी खातेदारी की भूमि बाबत वसीयत कर रखी है। उक्त वसीयत अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का मृतक लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण मीना की भूमि में कोई हिस्सा शेष नही है। इसलिए वादीनी को यह कानूनन हक अधिकार हासिंल है कि उक्त आराजी भूमि खसरा नं0 63 रकबा 2.1876 हैक्टेयर हिस्सा 138/173 एवं खसरा नं0 63/650 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 64 रकबा 0.0506 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 90 रकबा 0.7334 हैक्टेयर वाकै ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील निर्झरना के खातेदार लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण का निधन हो जाने के कारण राजस्व रिकार्ड मे खातेदार लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण का नाम विलोपित करवाकर भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिघोषणा करवाए। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 24-05-23 को मृतक लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण मीना की जगह वसीयत के आधार पर वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीनी को न्यायालय श्रीमान् के यहां वाद प्रस्तुत करने को कहा। जिससे वाद हैतुक पैदा होकर वाद अधिघोषणा पेश करना आवश्यक हुआ।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई जिस पर प्रतिवदी संख्या 1 लगायत 3 की तामील हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर स श्री घनश्याम सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतू नियत की गयी। वादी की ओर गवाह पीडब्लू- 1 बच्ची देवी, पीडब्लू- 2 भरतलाल, पीडब्लू- 3 अशोक के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल किया गया।

बहस एकतरफा वादीनी सुनी गई। अधिवक्ता वादीनी ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नं0 63 रकबा 2.1876 हैक्टेयर हिस्सा 138/173 एवं खसरा नं0

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

63 / 650 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 64 रकबा 0.0506 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 90 रकबा 0.7334 हैक्टेयर वाकै ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील निर्झरना वाली भूमि वादीनी के कब्जे काश्त के बाबत कथन किये है उसने अपना वाद प्रस्तुत अभिवचनो दस्तावेजात तथा साक्ष्य से पूरी तरह साबित किया है इसलिए वाद वादीनी स्वीकार कर डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो यह तथ्य गवाहान बच्ची देवी, भरतलाल, अशोक की साक्ष्य से सुस्पष्ट है कि वादीनी को आराजी वादग्रस्त का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसलिए वादीनी का वाद पत्र डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 63 रकबा 2.1876 हैक्टेयर हिस्सा 138 / 173 एवं खसरा नं0 63 / 650 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 64 रकबा 0.0506 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 90 रकबा 0.7334 हैक्टेयर वाकै ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील निर्झरना वाली में वादीनी को खातेदार उद्‌घोषित कर खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीनी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कर अमल दरामद हेतू तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है इस आशय की तहरीर तहसीलदार निर्झरना को जारी हो। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दप्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर, लालसोट
सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)